दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

RNI NO :- CHHHIN16931 || email :- nyaysakshi@gmail.com || रायगढ़, शनिवार 1 दिसम्बर 2018 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-64

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

पीएम मोदी ने हिंदुस्तान को अंबानी-अडाणी में बांटा

किसानों के आंदोलन में बोले राहुल

नई दिल्ली (आरएनएस)। कृषि संकट से निपटने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि अगर पीएम मोदी अपने 15 सबसे अमीर दोस्तों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो उन्हें देश के करोड़ों किसानों का कर्जा भी माफ करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश को अंबानी-अडाणी के बीच में बांट दिया है। बता दें कि शुक्रवार को किसानों के प्रदर्शन में एक बार फिर विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। राहुल गांधी, केजरीवाल, शरद यादव, सीताराम येचुरी समेत देश के तमाम विपक्षी दलों के नेता एकजुटता दिखाते हुए मौजूद रहे।

राहुल गांधी के बाद किसानों को संबोधित करते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर किसानों की नहीं सुनी गई तो वे 2019 में मोदी सरकार के खिलाफ देशभर में कयामत ढा देंगे। वहीं, किसानों के आंदोलन में शामिल होने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि अगर अगर 15 लोगों का कर्जा माफ हो सकता है तो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। राहुल ने कहा, किसान कोई फ्री गिफ्ट नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहा है। पीएम ने वादा किया था बोनस का, एमएसपी का। आप बीमा का पैसा देते हो, अनिल अंबानी की जेब में जाता है। किसान ये भी नहीं चुन सकता कि कौन सा बीमा ले। मोदी ने हिंदुस्तान को बांट रखा है, कहीं अंबानी को कहीं अडाणी को।

अगर पीएम बदलना पड़े तो वह भी बदलेंगे

राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने राफेल डील पर अपने पुराने आरोपों के संदर्भ में कहा, हिंदुस्तान का किसान मोदीजी से अनिल अंबानी का हवाई जहाज नहीं मांग रहा है। किसान पूछ रहा है कि अगर अनिल अंबानी को वायुसेना का पैसा दे सकते हो, 15 अमीर मित्रों का कर्जा माफ कर सकते हो तो हमारा भी माफ करो। राहुल ने विपक्षी एकता की बात करते हुए कहा, हम सब की विचारधारा अलग है, लेकिन किसान और युवाओं के लिए हम एक हैं। चाहे कानून बदलना पड़े, सीएम बदलना पड़े, या पीएम बदलना पड़े, हम बदलेंगे। पूरे देश से हिंदुस्तान के किसान और युवाओं की आवाज है, जिसे आप चुप नहीं कर सकते।

मोदी के मुंह से देश के 15 अमीर लोगों की आवाज निकलती है

राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर केवल बड़े उद्योगपतियों का फेवर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मोदीजी के मुंह से हिंदुस्तान के सबसे 15 अमीर अनिल अंबानी जैसे लोगों की आवाज निकलती है। पांच साल पहले हम सबने कहा था कि अगर कोई सरकार हिंदुस्तान के किसान का अपमान करेगी, हिंदुस्तान के युवाओं का अपमान करेगी तो उस सरकार को हिंदुस्तान हटा कर रहेगा। आप देश को भोजन देते हो। आप चार बजे सुबह उठकर देश को अपना खून-पसीना देते हो। इस देश को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है। कोई एक पार्टी नहीं चलाती है। इस देश को किसान, मजदूर, छोटे व्यवसायी चलाते हैं।

किसान 2019 में मोदी सरकार के खिलाफ कयामत ढा देंगे: केजरीवाल

राहुल गांधी के बाद आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में मोदी सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, मोटे तौर पर तीन मांगें समझ में आती हैं। जितना कर्ज किसानों का है वह सारा कर्ज माफ होना चाहिए। किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिलना चाहिए। जो वादा किया गया था स्वामीनाथन आयोग का उसे लागू किया जाना चाहिए। किसानों को भीख नहीं चाहिए, किसान अपना हक मांग रहे हैं। सरकारें एमएसपी निर्धारित कर देती हैं लेकिन इस दाम पर कोई नहीं खरीदते। किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार ने जो फसल बीमा है योजना बनाई है यह फ्रॉड है, किसानों के साथ धोखा है।

वह बीजेपी की किसान डाका योजना है बीजेपी की।

हिरासत में मौत का मुकदमा दिल्ली स्थानांतरित करने पूर्व आईजीपी से मांगा जवाब

नयी दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने हिरासत में मौत से संबंधित एक मुकदमे को शिमला से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने के लिये दायर याचिका पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक जहूर हैदर जैदी और सात अन्य आरोपी पुलिसकर्मियों से शुक्रवार को जवाब मांगा। जैदी और अन्य अन्य पुलिसकर्मियों पर पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के मामले में मुकदमा चलेगा। यह व्यक्ति शिमला जिले के कोटखाय क्षेत्र में पिछले साल जुलाई में एक अल्पवय स्कूली छात्रा के साथ हुये सामूहिक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार व्यक्तियों में शामिल था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि यदि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक और अन्य आरोपी इस मुकदमे को हिमाचल प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने के पक्ष में नहीं होंगे तो वह खुद इस मामले को दिल्ली स्थानांतरण कर सकती है। पीठ ने कहा, ''हम दिल्ली की अदालत से कहेंगे कि मुकदमे की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी की जाये। यह 302 (हत्या) का सामान्य मामला नहीं है। आप हिरासत में मौत के मामले में आरोपी हैं।'' केन्द्रीय जांच ब्यूरो की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। लेकिन इस मामले में अभी तक मुकदमे की शुरूआत नहीं हुयी है। इसलिए तेजी से इसके निष्पादन के लिये मुकदमा दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित किया जाये। उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक होने की वजह से जैदी इस मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

अफगानिस्तान में अमेरिकी हमले में 23 नागरिकों की मौत : संयुक्त राष्ट्र

काबुल (आरएनएस)। संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा कि अमेरिका द्वारा इसी सप्ताह अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों पर हमले में 23 नागरिकों की मौत हो गई है जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, हेलमंद प्रांत में अफगानिस्तान और अमेरिकी सेना ने संयुक्त अभियान के तहत मंगलवार को एक परिसर में हमला किया था। यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान (उनामा) ने एक बयान में कहा कि हमले में लगभग 10 बच्चे और आठ महिलाओं की मौत हुई है। तीन बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका की अगुआई वाले नाटो मिशन ने कहा कि मंगलवार को गार्मसेर जिले में अमेरिकी की सलाह से काम करने वाले अफगानिस्तानी सैनिकों और तालिबान आतंकवादियों में गोलीबारी के दौरान हैलीकॉप्टर से हमला किया गया था।

यूएन चीफ से मिले पीएम मोदी

ब्यूनस आयर्स (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतेरस से मुलाकात की। दोनों ने वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की भूमिका पर चर्चा की। पीएमओ सूत्रों ने बताया कि बैठक इस बात का प्रतीक है कि दोनों नेता जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को काफी महत्व देते हैं। दोनों के बीच यह बैठक पोलैंड के कैटोविस में कोप 24 की होने वाली बैठक से एक सप्ताह पहले हुई।

उत्तर कोरिया के लिए जासूसी के आरोप में फ्रांस का अधिकारी हिरासत में लिया गया

पैरिस (आरएनएस)। फ्रांस के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बेनॉं क्रेनेडी को उत्तर कोरिया के लिए जासूसी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। न्यायिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। फ्रांस की संसद के ऊपरी सदन सेनेट के वरिष्ठ अधिकारी क्रेनेडी को रविवार को हिरासत में लिया गया। वह फ्रैंको-कोरियन फ्रेंडशिप असोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं।

पीएसएलवी ने लॉन्च किया हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटलाइट

नई दिल्ली (आरएनएस)। कुछ महीने पहले ओडिशा में स्विफ्ट डॉग्स और मेटल डिटेक्टर्स ने मॉर्निंग ड्रिल पर निकले सीआरपीएफ जवानों के एक रूप को शक्तिशाली लैंडमाइंस से बचा लिया। एक स्टडी के मुताबिक पिछले 17 सालों में मिलिटरी जवानों समेत 3700 से अधिक लोग लैंडमाइंस के ऊपर आने की वजह से मारे जा चुके हैं लेकिन अब आगे शायद अपनों की कीमती जिंदगी बचाई जा सकेगी। इसरो ने पोलर सैटलाइट लॉन्च वीइकल (पीएसएलवी) सी-43 द्वारा 31 सैटलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसमें भारत का हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटलाइट (एचवाईएसआईएस) भी शामिल है।

यौन हिंसा मामलों की रिपोर्टिंग संबंधी दिशानिर्देशों पर गहराई से विचार की जरूरत

नयी दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यौन हिंसा, विशेषकर अवयस्कों के साथ अपराध, के मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग के लिये दिशा निर्देशों से संबंधित विषय पर गहराई से विचार की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को बताया गया कि यौन हिंसा की पीड़ित की पहचान का खुलासा करने वाले मीडिया घरानों और पत्रकारों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद सहित विभिन्न मीडिया संगठनों द्वारा दायर हलफनामों में ''ज्यादा कुछ नहीं है।''

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को हुई तीन महीने की जेल

चेक बाउंस मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन महीने के जेल की सजा सुनाई है। आज यादव को सजा सुनाए जाने के बाद सीधे जेल भेज दिया गया। बता दें कि ट्रायल कोर्ट के सामने एक समझौते की रकम देने पर नाकाम रहने की वजह से हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को तीन महीने जेल की सज़ा सुनाई है।

दरअसल, इंदौर निवासी सुरेंदर सिंह से राजपाल यादव ने निजी आवश्यकता बताते हुए पांच लाख रुपए उधार लिए थे। इस रकम की वापसी के लिए यादव ने एक्सिस बैंक मुंबई का एक चेक सुरेंदर सिंह को दिया, जोकि सितंबर 2015 में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया।

इसके बाद सुरेंदर सिंह ने वकील के माध्यम से राजपाल को इस संबंध में नोटिस भेजा, बावजूद इसके राजपाल ने परिवादी को भुगतान नहीं किया। इस पर राजपाल यादव के खिलाफ जिला कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया।

बता दें हाल ही में आई निर्देशक शैलेन्द्र सिंह राजपूत की फिल्म इंग्लिश की टांय टांय फिस्स में राजपाल यादव, दर्शकों को अपनी जबर्दस्त कॉमिडी का फुल डोज़ देते हुए नजर आएंगे लेकिन फिलहाल उन्हें कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।

राजा भैया ने किया नई राजनीतिक पार्टी का औपचारिक ऐलान

एजेंडे पर होंगे मजदूर, किसान और जवान

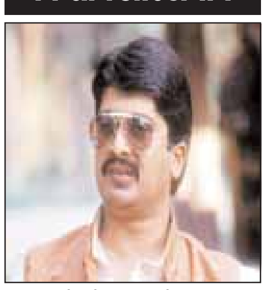

लखनऊ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने शुक्रवार को लखनऊ के रमाबाई पार्क में अपनी राजनीतिक पार्टी का औपचारिक ऐलान कर दिया। बता दें कि मौका था राजा भैया के राजनीतिक सफर के 25 वर्ष पूरे होने का, इस दौरान उन्होंने रैली के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया। रैली के आयोजकों का दावा है कि लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चार लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी।

जनसत्ता नाम से राजनीतिक दल के ऐलान के बाद शुक्रवार को रैली में रघुराज प्रताप सिंह ने देश के मजदूर, किसान और जवानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने आरोप भी लगाया कि देश के सभी राजनीतिक दल आज नफरत फैला रहे हैं लेकिन जनसत्ता सभी को एकजुट रखने के लिए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेगी।

रघुराज प्रताप सिंह ने रैली के दौरान कहा कि हमारी पार्टी के नाम के लिए चुनाव आयोग में प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि जनसत्ता दल, जनसत्ता पार्टी, जनसत्ता लोकतांत्रिक दल में से कोई नाम मिलेगा।

सत्ता में जनसत्ता तो 1 हफ्ते के भीतर होगा गन्ना किसानों का भुगतान

रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा, बहुत से ऐसे विषय हैं, जिस पर सारे राजनीतिक दल मौन हैं। ये मुद्दे समाज को छूने वाले मुद्दे हैं। मजदूर, किसान और जवान इनके लिए पार्टी दृढ़ संकल्पित है। समय से बिजली, समय से पानी, समय से खाद यह किसान को उपलब्ध होना चाहिए।

गन्ना किसान हमारे परेशान हैं, महीनों बीत चुके हैं लेकिन अब तक उनका भुगतान नहीं किया गया है। जनसत्ता पार्टी सत्ता में आने के साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि गन्ना किसान मिल में पहुंचे तो एक हफ्ते के भीतर उनका भुगतान करा दिया जाए।

सीबीआई ने धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के खिलाफ किया मामला दर्ज

निवेशकों को लगाया 1500 करोड़ का चूना

नयी दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने निवेश पर लुभावने मुनाफे का वादा करके तमिलनाडु के डेढ लाख से अधिक निवेशकों से 1500 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी पर एक कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने मदुरै की कंपनी 'परिवार डायरीज एंड एलाइड लिमिटेड' और इसके प्रमोटरों बसंत लाल शर्मा, राकेश सिंह नरवारिया, अहिबरन सिंह, चंद्रभान यादव, नीरज सिंह, भानु प्रताप सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। ये सभी लोग ग्वालियर के निवासी हैं। एक अधिकारी ने कहा कि उनके अलावा, अलवर निवासी प्रदीप कुमार शर्मा और मदुरै के धेइवम के खिलाफ भी आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से संबंधित भादसं की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सैन्य बलों के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज

नयी दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर और जम्मू कश्मीर में अभियान चलाने वाले सैन्य बलों के सदस्यों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाले 350 से ज्यादा सैन्यकर्मियों की याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी। इन दोनों राज्यों में सैन्य बल विशेष अधिकार कानून (अफ्सपा) लागू है।

पाकिस्तान ने भारत के 22 मछुआरों को किया गिरफ्तार

कराची (आरएनएस)। पाकिस्तानी अधिकारियों ने 22 भारतीय मछुआरों को कथित तौर पर पाकिस्तान के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के मामले में गिरफ्तार किया। एक सुरक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 'पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी' (पीएमएसए) के कर्मियों ने एक अभियान के दौरान इन मछुआरों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि मछुआरों की तीन नौकाएं भी जब्त की गई हैं।

पूर्व कोयला सचिव गुप्ता और दो नौकरशाह सहित छह दोषी करार

कोलगेट मामला

नयी दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को संप्रग सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल की कोयला खदान आबंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया। इस मामले में दोषी करार दिये गये अन्य आरोपियों में एक सेवानिवृत्त लोकसेवक के एस क्रोफा और सेवारत नौकरशाह के सी सामरिया भी शामिल हैं। इन्हें भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों को दोषी ठहराया गया है। गुप्ता, 31 दिसम्बर, 2005 से नवम्बर 2008 तक कोयला सचिव रहे थे। उन्हें दो अन्य ऐसे ही मामलों में भी दोषी ठहराया जा चुका है। इसमें उन्हें दो और तीन सालों की सजा सुनाई भी जा चुकी है। वह इस समय जमानत पर बाहर चल रहे है। क्रोफा, उस समय कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर थे और वह मेघालय के मुख्य सचिव के पद से दिसम्बर 2017 में सेवानिवृत्त हो गये थे। उन्हें एक अन्य मामले में पहले ही दोषी करार देकर दो साल की सजा सुनाई जा चुकी है। क्रोफा भी इस समय जमानत पर बाहर चल रहे हैं। विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर द्वारा फैसला सुनाये जाने के बाद सभी दोषियों को हिरासत में ले लिया गया। दोषियों की सजा की अवधि पर अदालत में तीन दिसंबर को बहस होगी। इस मामले में दोषियों को अधिकतम सात साल कैद की सजा हो सकती है। यह मामला पश्चिम बंगाल में मोइरा और मधुजोर (उत्तर और दक्षिण) कोयला खदानों को विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड (वीएमपीएल) को देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। सीबीआई ने सितंबर 2012 में इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। वीएमपीएल के प्रबंध निदेशक विकास पाटनी और उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आनंद मलिक भी इसमें दोषी ठहराये गए हैं। सभी लोगों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधी माना गया। इनमें धारा 420 (धोखाधड़ी) और 102-बी (आपराधिक षडयंत्र) शामिल है। अभियोजकों ने कहा कि गुप्ता कोयला खदान आवंटन मामले में कथित अनियमितताएं बरतने के 12 मामलों में आरोपी हैं। सीबीआई ने संप्रग के पहले और दूसरे कार्यकाल में हुई कथित अनियमितताओं के 40 मामलों में आरोप पत्र दायर किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कोयला घोटाला के सभी मामलों को विशेष रूप से देखने के लिए 25 जुलाई, 2014 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भरत पाराशर की नियुक्ति को हरी झंडी दी थी। अबतक विशेष अदालत छह मामलों को तय कर चुकी है। आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी मैसर्स हिंडाल्को को साल 2005 में ओडिशा की तलाबीरा द्वितीय व तृतीय कोल ब्लॉकों के आवंटन के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आरोपी हैं। विशेष अदालत ने 11 मार्च, 2015 को सिंह और पांच अन्य आरोपियों को समन जारी किये थे। सिंह के अलावा पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख, आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला और अन्य लोगों को समन जारी किये थे। सिंह ने राहत पाने के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण ली जहां एक अप्रैल, 2015 को निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी गई। उनका मामला अभी सर्वोच्च अदालत में लंबित है। इस मौजूदा मामले में अदालत ने 19 अगस्त, 2016 को आरोप तय कर दिये थे। इसमें गुप्ता, दो नौकरशाहों और कंपनी व इसके दो अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप शामिल थे।